कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, अनुभाग हरसूद
जिला खण्डवा, (म0प्र0)

क्रमांक / 102 / 2017 / भू–अर्जन / 2019 /36 हरसूद, दिनांक 8 / 01 / 2019

प्रति,

नियंत्रक,
केन्द्रीय मुद्रणालय
म.प्र. भोपाल

विषय :– भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन विषयक ।

––00––

राजस्व प्रकरण क्रमांक 02 / अ.82 / 2017–18 में ग्राम रोशनी तहसील खालवा, जिला खण्डवा की निजी भूमि क्षेत्रफल 3.57 हेक्टर के भू–अर्जन हेतु, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक–30, सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित प्रारम्भिक अधिसूचना की दो प्रतियां संलग्न प्रेषित है।

अतः कृपया उक्त प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :– 02 प्रतियां।

(जगदीश मेहरा)
अनु–विभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन
अधिकारी, हरसूद जिला खण्डवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक / 102 / 2018 / भू–अर्जन / 37 हरसूद, दिनांक 8 / 1 / 2019

प्रतिलिपि :–

1– संचालक, जन संपर्क संचनालय म0प्र0 की ओर प्रारम्भिक अधिसूचना की चार प्रतियॉ संलग्न कर इस क्षेत्र में पढे जाने वाले दो बहु प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित । दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन उपरांत समाचार पत्रों की दो प्रतियॉ इस कार्यालय एवं कार्यालय कलेक्टर खंडवा को प्रेषित करने का कष्ट करें।

2– कलेक्टर महोदय, (भू–अर्जन शाखा) जिला खण्डवा की ओर अधिसूचना की प्रति सहित सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर संलग्न अधिसूचना को समुचित सरकार की वेबसाईड पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित ।

4– तहसीलदार, खालवा की ओर 06 प्रतियॉ संलग्न कर एक प्रति स्वयं के कार्यालय के सूचना पटल, उक्त अधिसूचना का प्रकाशन उपखंड कार्यालय / तहसील / जनपद पंचायत कार्यालय, संबंधित ग्राम एवं ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया जाकर तामिली इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रेषित ।

5– कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

6– जिला नाजिर कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर जिला कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।

अनु–विभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन
अधिकारी, हरसूद जिला खण्डवा (म0प्र0)

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती क्रमांक /102/एल.ए./2017

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक–2/अ–82/2017–18 दिनांक 07/01/2019

// प्रारम्भिक अधिसूचना //

(भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यपस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 की धारा 11(1))

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः "भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यपस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की धारा 11(1) उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारीयों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित **आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य** की प्रकृति लोक लोक हित अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा–4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है। इस कारण से धारा–11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नही है।

// अनुसूची //

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम / नगर	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
खण्डवा	खालवा	रोशनी	3.57	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा	आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी, हरसूद तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विशेष गढ़पाले)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला खण्डवा